Housing & Urban Development Corporation Limited

(A Govt. of India Enterprise)

AN ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY

hudco Regd Office : HUDCO Bhawan, India Habitat Centre,Lodhi Road, New Delhi –110 003

Ph:24649610,24648194, Website:www.hudco.org, Fax :24648367

PUBLIC NOTICE

By virtue of public notice the general public is hereby informed that Maharaji Educational Trust (Regd.) (MET) having its principal office at 7, Avenue Basant Road, Chennai and its branch office at 1, Santosh Nagar, Pratap Vihar, Ghaziabad, UP through its trustees Dr. P.Mahalingam and Smt. P.Kuyilambal took a loan of Rs.7507 lacs from our client M/s Housing & Urban Development Corporation Ltd (HUDCO), HUDCO Bhawan, India Habitat Center, Lodhi Road. New Delhi and mortgaged with them the following properties.

Village/ city	Sale Deeds / Conveyance Deeds	Details of land /Properties
Ghaziabad	Sale Deed	Plot No. 1-2, Ambedkar Road, Ghaziabad measuring 6009.36 sq. mtr.
Ghaziabad	Conveyance Deeds	Block No. K, Pratap Vihar, Sector-12, measuring 20234.25 sq.mtr
Ghaziabd	Conveyance Deeds	Block No. J, Pratap Vihar, Sector-12 measuring 20234.25 sq. mtr.
Ghaziabad	Sale Deed	Sector-12, Pratap Vihar, measuring 5.766 acres
Ghaziabad	Conveyance Deeds	H I- H16, H-Block, Pratap Vihar, Sector-12 together with super structure constructed thereon

As per the details given by Maharaji Educational Trust, the land mortgaged in village Mirzapur, Pargana-Loni, Teshil and Distt. Ghaziabad belong to the following Khasra numbers i.e. 125/2, 126/2, 128/2, 129/5, 127MIN, 127, 127MIN, 166, 166/2, 116, 142/2, 116/2, 88, 142/2, 104, 105, 121/2, 141/6, 117MIN, 123MIN, 112, 126/1, 126/3, 128/1, 136/2, 135/2, 128/1, 135/2,115,125/1, 136/3,110,121/4,141/5,129/2,129/4,129MIN.,134,138/1,108/1,125/1,133MIN,109,136/1, 121/1, 138/2, 114, 141/1, 141/6,134MIN,129/6,120MIN,120,107,133,135/1,137,141/2,144,135/3, 150MIN, 150, 152, 153, 126/3, 129/3, 121/5, 129/1,151,125/2,128/2,126/2,129/5,132/2,130,131,140,141/8,132/2,113,180,185,187/2,176/1,180,182/1,132/2,130,131,182/1.

The land modgaged with our client and forming part of village Akbarpur-Behrampur, Pargana-Loni, Teshil and Distt. Ghaziabad belong to following Khasra numbers i.e. 23,29/1,29,34,8,3,21,19,7/1,19,40,30,32,5/1,38,43/5,40,6/2/3,7/1&7/2,31/2,31/1,1,2,44,6/2/3,7/1&7/2,10,12,33,31/3,36,43/1,15/1,31/3,14,15/1,4,6/1,9&11,5/2,5/3,33,1,2&44,10,7/2,6/2/1&7/1,4,6/1,9&11,10.

That Hudco has filed Original Application no. 160/02 HUDCO VS Maharaji Educational Trust & ORS" before DRT, Delhi and DRT vide its order dated 26.08.02 passed in O. A. no. 160/02 titled as " HUDCO VS Maharaji Educational Trust & ORS" was pleased to restrain MET, its Trustees named above, their agents, nominees, attorneys, assigns, representatives, successors, etc from selling, alienating, disposing of, transferring or parting with the possession in any other manner or creating third party interest in respect of above immovable properties.

That the aforesaid O.A. has been decided in favour of HUDCO by DRT-II, Delhi on 03.06.08 and a decree of Rs.148,08,06,453 together with pendentelite and future interest @ 9% per annum with quarterly rests from the date of filing of above O.A. i.e. 20.08.02 till the date of its full realization with costs and other usual reliefs against MET and its above trustees has been passed.

That the Hon'ble DRT has further ordered that in case MET and its trustees fail to pay the said decreed amount with in the stipulated period the above shall be recovered from the sale of mortgaged/ charged immovable properties of the trust and trustees.

That HUDCO is further allowed to recover its above dues from sale of all movable machinery, equipments, furniture, fittings, book debts, monies, receivable etc of Maharaji Educational Trust lying at Hospital/medical college, plot no.1, Ambedkar Road, Opposite Bus Depot, Ghaziabad (UP), Block no. H,J & K of Pratap Vihar, Sector-12, Ghaziabad(UP), property within the revenue limits of village Akbarpur, Village Behrampur and village Mirzapur, Pargana-Loni, Distt. Ghaziabad (UP) or at any other place or other personal properties/assets of the aforesaid Trust and its Trustees as per the provisions of Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act 1993.

That the MET and its trustee have not paid the decreed amount,

The General Public is ,there, hereby informed not to enter into any deal/transaction/agreement with respect to the aforesaid movable and immovable properties with the said trust or its trustees. Any transaction/deal/agreement with respect to the aforesaid movable and immovable properties/land with Maharaji Educational Trust or its trustees shall be in violation to the orders of the DRT and would lead to the severe consequences as are contemplated under law. Any person acting in contravention of the above shall be doing so at his own risk, cost and consequences.

Date: 12.09.08

A.K.Singh

Advocate

For (A.K.Singh & Co.)
Advocates & Consultants
Bungalow No.G-16,Saket, New Delhi-110017

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

आई एस ओ 9001:2000 प्रमाणित कम्पनी

पंजीकृत कार्यालयः हडको भवन, भारत पर्यावास केन्द्र,लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003

फोन नम्बर:2469610,24648194, वेबसाइट : www.hudco.org: फैक्सः 24648367

सार्वजनिक सूचना

सार्वजनिक सूचना के द्वारा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि महाराजी एज्यूकेशनल ट्रस्ट (रजि.) (एमइटी) ,जिसका प्रधान कार्यालय 7, एवेन्यू बसन्त रोड, चेन्नई तथा शाखा कार्यालय 1, संतो-ा नगर, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उ,प्र, esa fLथत है, ने अपने ट्रस्टी डॉ. पी. महालिंगम तथा श्रीमती पी. क्यूलम्बल के माध्यम से हमारे मुवक्किल मैसर्स हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (हडको), हडको भवन, इंडिया हैबीटैट सेंटर लोधी रोड, नई दिल्ली से रुपए 7507 लाख का ऋण लिया था और उनके पास निम्नलिखित सम्पत्तियाँ बंधक रखी थी :

ग्राम/शहर	विक्रय विलेख/ कन्वेयन्स डीड	भूमि/सम्पत्तियों का विवरण
गाजियाबाद	विक्रय विलेख	प्लाट नं. 1-2, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद, पैमाइश 6009.36 वर्ग मीटर
गाजियाबाद	कन्वेयन्स डीड	ब्लॉक नं. के, प्रताप विहार, सेक्टर-12, पैमाइश 20234.25 वर्ग मीटर
गाजियाबाद	कन्वेयन्स डीड	ब्लॉक नं. जे, प्रताप विहार, सेक्टर-12, पैमाइश 20234.25 वर्ग मीटर
गाजियाबाद	विक्रय विलेख	सेक्टर-12, प्रताप विहार, पैमाइश 5.766 एकड़
गाजियाबाद	कन्वेयन्स डीड	एच I - एच 16, एच ब्लॉक, प्रताप विहार, सेक्टर - 12, उस पर बने ढांचे सहित

महाराजी एज्यूकेशनल ट्रस्ट द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार ग्राम मिर्जापुर, परगना - लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद में बंधक भूमि निम्नलिखित खसरा नम्बरों की है : 125/2, 126/2, 128/2, 129/5, 127 एमआईएन, 127, 127 एमआईएन, 166, 166/2, 116, 142/2, 116/2, 88, 142/2, 104, 105, 121/2, 141/6, 117 एमआईन, 123 एमआईएन, 112, 126/1, 126/3, 128/1, 136/2, 135/2, 128/1, 135/2, 115, 125/1, 136/3, 110, 121/4, 141/5, 129/2, 129/4, 129 एमआईएन, 134, 138/1, 108/1, 125/1, 133 एमआईएन, 109, 136/1, 121/1, 138/2, 114, 141/1, 141/6, 134 एमआईएन, 129/6, 120 एमआईएन, 120, 107, 133, 135/1, 137, 141/2, 144, 135/3, 150 एमआईएन, 150, 152, 153, 126/3, 129/3, 121/5, 129/1, 151, 125/2, 128/2, 126/2, 129/5, 132/2, 130, 131, 140, 141/8, 132/2, 113, 180, 185, 187/2, 176/1, 180, 182/1, 132/2, 130, 131, 182/1

हमारे मुवक्किल के पास ग्राम अकबरपुर-बेहरमपुर, परगना-लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद की बंधक रखी गई भूमि निम्नलिखित खसरा नम्बरों की है : 23, 29/1, 29, 34, 8, 3, 21, 19, 7/1, 19, 40, 30, 32, 5/1, 38, 43/5, 40, 6/2/3, 7/1 एवं 7/2, 31/2, 31/1, 1, 2, 44, 6/2/3, 7/1 एवं 7/2, 10, 12, 33, 31/3, 36, 43/1, 15/1, 31/3, 14, 15/1, 4, 6/1, 9 एवं 11, 5/2, 5/3, 33, 1, 2 एवं 44, 10, 7/2, 6/2/1 एवं 7।1, 4,6/1, 9 एवं 11, 10

हडको ने डीआरटी, दिल्ली के सम्मुख "हडको बनाम महाराजी एज्यूकेशनल ट्रस्ट एवं अन्य" के नाम अपना मूल आवेदन सं. 160/02 दायर किया था तथा डीआरटी ने अपने आदेश, दिनांक 26.08.02 के द्वारा "हडको बनाम महाराजी एज्यूकेशनल ट्रस्ट एवं अन्य" के शीर्षक से ओ. ए. सं. 160/02 पारित किया है, जिसमें महाराजी एज्यूकेशनल ट्रस्ट, इसके उपरोक्त नामित ट्रस्टी उनके एजेंटों, नामितों, अटार्नी, समुनुदेशितों, प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों आदि को उपरोक्त अचल सम्पत्तियों को बेचने, वियोजन करने, निपटाने तथा इसे अन्तरित अथवा अन्य किसी ढंग से इसके स्वामित्व में पृथक्करण अथवा किसी अन्य पक्ष में हित सृजन से अवरोध किया है ।

उपरोक्त ओ.ए. का डीआरटी -II दिल्ली द्वारा *दिनांक* 03.06.08 को हडको के पक्ष में निर्णय लिया जा चुका है तथा उपरोक्त ओ.ए. दाखिल करने की तिथि अर्थात् 20.08.02 से इसकी पूर्ण वसूली की तारीख तक तिमाही आधार पर 9% प्रतिवर्ष की दर से वादकालीन एवं भावी ब्याज सहित रुपये 148,08,06,453/- की डिक्री लागत एवं अन्य सामान्य सहायता एमइटी एवं इसके अन्य उपरोक्त न्यासियों के विरुद्ध पास कर दी गई है ।

माननीय डीआरटी ने आगे *यह भी* आदेश दिया कि यदि एमइटी एवं इसके न्यासी उक्त डिक्री राशि को निर्धारित अवधि में अदा करने में असफल रहते हैं तो उसे न्यास एवं न्यासियों की बंधक/प्रभारित अचल सम्पत्तियों की बिक्री से वसूल किया जाएगा ।

बैंकों को देय उधार की वसूली तथा वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम अकबरपुर, ग्राम बहरमपुर तथा ग्राम मिर्जापुर, परगना-लोनी, जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) अथवा किसी अन्य स्थान पर या उक्त न्यास एवं इसके न्यासियों की अन्य व्यक्तिगत सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों की राजस्व सीमा के अधीन महाराजी शैक्षणिक न्यास के अस्पताल/मैडिकल कालेज, प्लाट नं. 1 अम्बेडकर रोड, बस डिपो के सामने, गाजियाबाद (उ.प्र.) ब्लाक सं. एच, जे एंड के प्रताप विहार, सेक्टर-12, गाजियाबाद (उ.प्र.) में रखी सभी चल मशीनरी, उपकरणों, फर्नीचर, फिटिंग, बुक डेब्ट्स, धनराशियाँ, प्राप्य आदि की बिक्री से हडको को अपने उपरोक्त देयों की वसूली की अनुमति होगी ।

एमइटी एवं इसके न्यासियों ने डिक्री राशि की अदायगी नहीं की है ।

सामान्य जनता को *नोटिस* द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त न्यास अथवा इसके न्यासियों के साथ उपरोक्त चल एवं अचल सम्पत्तियों के संबंध में कोई भी सौदा/कारोबार/करार न करे । महाराजी शैक्षणिक न्यास अथवा इसके न्यासियों के साथ उपरोक्त चल एवं अचल सम्पत्तियों/भूमि के संबंध में कोई भी सौदा/कारोबार/करार डीआरटी के आदेशों के विरुद्ध होगा तथा उसके गंभीर परिणाम होंगे जैसा कि कानून में दिया गया है । उपरोक्त के उल्लंघन में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जोखिम, लागत पर ऐसा करेगा और परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा ।

दिनांक : 12.09.08

ए.के.सिंह

एडवोकेट

कृते (ए.के.सिंह एंड कंपनी)

एडवोकेट एंड कंसलटेंट्स

बंगला नं. जी-16, साकेत, नई दिल्ली - 110017